

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : १५ मार्च, 2013

विषय: बाढ़ 2012 के दौरान पचास लाख से अधिक एवं दो करोड़ से कम लागत में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु धनावंटन।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-520/आपदा-तेरह-मरम्मत स्वीकृति/12, दिनांक-19.12.2012 एवं आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के पत्र संख्या-169/आर०ए०-प्रथम/13, दिनांक 11.02.2013 जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बहराइच में बाढ़ 2012 के दौरान पचास लाख से अधिक एवं दो करोड़ से कम लागत के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति की बैठक में 03 अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त पत्र दिनांक 11.02.2013 द्वारा कुल धनराशि रू० 3,94,06,000/- आंकलित/मांग की गयी है। अतः विभिन्न विभागों (सिंचाई विभाग) के लिए आंकलित/मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि रू० 1,97,03,000/- (रूपये एक करोड़ सत्तानबे लाख तीन हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था/विभाग का नाम  | कार्य का नाम  | मांगी गयी धनराशि (रू० में) | अवमुक्त धनराशि (रू० में) |
|----------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 1        | सरयू नहर खण्ड प्रथम बहराइच     | जनपद बहराइच में कलकलवा मार्जिनल बन्ध के किमी० 4.390 से 5.100 एवं किमी० 5.300 से 5.460 के मध्य क्षतिग्रस्त लांचिंग एप्रन की पुर्नस्थापना का कार्य  | 1,40,40,000                | 70,20,000                |
| 2        | बाढ़ कार्य खण्ड गोण्डा         | जनपद-बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबन्ध के किमी० 11.460 पर निर्मित स्पर नं० 9 एवं किमी० 9.350 से 12.300 के मध्य बाढ़ अवधि में क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत हेतु कार्यों की परियोजना का प्राक्कलन। | 79,47,000                  | 39,73,500                |
| 3        | सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम बहराइच | जनपद-बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित बेलहा बहरौली तटबन्ध के किमी० 62.400 पर निर्मित स्पर नोज भाग के रेस्टोरेशन का कार्य।  | 1,74,19,000                | 87,09,500                |
|          |                                | योग   | 3,94,06,000                | 1,97,03,000              |

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-छक्ड.1ए दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं0 1349/1-10-2012-12(73)/2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।
5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं0 2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभागों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा।
7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।


8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005- रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।
9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।
10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,  
  
 ( एल0 वेंकटेश्वर लू )  
 सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :969(1)/1-10-2013-12(32)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियंता, सिंचाई उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बहराइच।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
 ( विनोद कुमार शर्मा )  
 अनुसचिव।